



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)

पता : गंगा स्टेडियम के पीछे, बार्ड नं. 15 के समीप ईको सेन्टर टीकमगढ़ म.प्र. 472001

ई-मेल : dfotkmgar@mp.gov.in फोन नं. : 07683-245315 फेक्स नं. : 245315

क्रमांक/मा.चि./2025/ 5658

टीकमगढ़, दिनांक - 14/11/2025

प्रति,

मे0 खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.

छतरपुर (म.प्र.)

विषय :- वन मण्डल टीकमगढ़ के परिक्षेत्र जतारा के ग्राम मांचीगढ़ के आर.एफ. 262 के रकबा 19.00 हेक्टेयर वनभूमि डायस्पोर/पायरोपलाइट खनिज ओपन काष्ट पद्धति से उत्खनन कार्य हेतु मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. को उपयोग पर देने बाबत। ऑनलाई प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/35835/2018

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक-6-MPCO27/2019-BHO (E-225343) दिनांक 17.10.2025 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-1/ FP/MP/MIN/35835/2018 /2542 दिनांक 17.10.2025

विषयान्तर्गत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा द्वारा संदर्भित पत्र से प्रकरण में शर्त क्रमांक 1 से 41 तक सशर्त सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पत्र में अधिरोपित शर्त क्रमांक 3,7,8,9 के पालन में निम्नानुसार वृक्षारोपण एवं नेट प्रजेन्ट की राशि जमा कर जमा राशि का विवरण ट्रांजक्शन शीट सहित प्रस्तुत करें :-

क्रमांक	विवरण (मद)	रकबा (हे.मै.)	घनत्व	ईको क्लास श्रेणी	राशि	राशि जमा करने की मद
1	2	3	4	5		7
1	नेट प्रजेन्ट बैल्यू की राशि (N.P.V.)	19.000	0.4	III	23343210.00	ऑनलाईन कैम्पा मद में
2	वेकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	19.000	—	—	11186844.00	
3	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10 प्रतिशत	19.000	—	—	1118684.00	" ऑनलाईन एम.पी. साईबर ट्रेजरी पोर्टल पर राजस्व मद संख्या "0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी (800) अन्य प्राप्तियों (0229) विविध प्राप्तियों"

उपरोक्तानुसार राशि जमा करवाई जाकर भारत सरकार के संदर्भित पत्र में अधिरोपित शर्तवार शर्तों का पालन करने संबंधी वचन पत्रों सहित पालन प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। बिलंब की स्थिति में आप स्वयं जबाबदेय होंगे।

(राजारीम परमार)
मा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

क्षेत्रीय वन मण्डल, टीकमगढ़

पृ0 क्रमांक/मा.चि./2025/ 5656

टीकमगढ़, दिनांक- 14/11/2025

प्रतिलिपि :-

वनमण्डलाधिकारी छतरपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है, कि भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के पालन में परियोजना में प्रभावित 19.00 हेक्टेयर वनभूमि के बदले प्रदाय की जा रही गैर वनभूमि को नियमानुसार वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करवाई जाकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वनभूमि घोषित करवाई जाकर अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कराये, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(राजारीम परमार)
वनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वन मण्डल, टीकमगढ़